गोपनीय

संख्या- 3 एन0क्यू0/कार्मिक-1/19

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक-21 अप्रैल, 1988 ।

विषय:- अधिकारियों द्वारा । उद्घाटन एंव शिलान्यास न किया जाना। ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-1742/कार्मिक-1/1982, दिनांक-10 दिसम्बर, 1982 (अनुलग्नक-1) में यह निर्देश दिये गये हैं कि अधिकारीगण द्वारा उद्घाटन एंव शिलान्यास न किये जायं। तदोपरान्त गोपनीय अर्धशासकीय पत्र संख्या-16/2X1983-कार्मिक, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 (अनुलग्नक-2) में पुन: यह निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोहों, अथवा विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण किये जाने अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेंगे।

2. शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि शासन की उक्त नीति का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन पर पुन: बल देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की उपरोक्त नीतियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त नीति के उल्लंघन के मामलों को शासन द्वारा कठोरता से लिया जायेगा।

3. आपसे अनुरोध है किशासन के उक्त निदेशों को अपने अधीन समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सिद्धार्थ बेहुरा ।
विशेष सचिव ।

संख्या-3 एक्यू0/कार्मिक-1/1988, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2. राज्यपाल, उ0प्र0 के सचिव ।
3. मंत्रियों के निजी सचिव को मंत्री जी के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

जे0 डी0 पुरी
संयुक्त सचिव ।